मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
का
नवम् प्रतिवेदन

(नवम्बर, 2001 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन   को सदन में प्रस्तुत)

<u>विषय सूची</u>

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	i
2.	**प्रस्तावना**	ii
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	iii
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) ऊर्जा	1
	(2) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2
	(3) कृषि	3
	(4) स्कूल शिक्षा	4
	(5) जल संसाधन	5
	(6) भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास	6
	(7) राजस्व	7
	(8) सहकारिता	10
	(9) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	11
	(10) लोक निर्माण	12
	(11) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	13
	(12) गृह(पुलिस)	15
	(13) नगरीय प्रशासन एवं विकास	16
5.	**(i) परिशिष्ट – ''अ''** (आ.क्र. 166 से संबंधित) **(ii) परिशिष्ट – ''ब''** (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा) **(iii) परिशिष्ट – ''स''** (विभागीय जांच के अनिर्णीत/अद्यतन जानकारी अप्राप्त/उत्तर अप्राप्त आश्वासन) **(iii) परिशिष्ट – ''द''**(नवम्बर, 2001 सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	22 27 28 29

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

<u>सभापति</u>

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

<u>सदस्यगण</u>

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी

<u>विधान सभा सचिवालय</u>

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का नवम् प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में नवम्बर, 2001 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 239 आश्वासन दिये गये थे। 191 आश्वासनों का निराकरण क्रमश: एकादश विधान सभा एवं द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है (परिशिष्ट – स)। इस प्रकार शेष 48 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस नवम् प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है। कई विभागों द्वारा संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का कड़ाई से पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. समिति की बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 01 दिसम्बर, 2015.

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग	आश्वासन क्रमांक
1.	ऊर्जा	05
2.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17
3.	कृषि	26, 33, 42
4.	स्कूल शिक्षा	47, 50, 59
5.	जल संसाधन	62
6.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	96
7.	राजस्व	106, 107, 109, 110, 111, 114, 117, 121
8.	सहकारिता	124, 125
9.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	101, 130, 131
10.	लोक निर्माण	146
11.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	151, 160, 163, 165, 166
12.	गृह(पुलिस)	171, 183, 184
13.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	193, 194, 197, 203, 204, 205, 208''अ'', 208''ब'', 217, 218, 220, 222, 223, 225, 228, 236

नवम्बर, 2001 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	05	नियम 139 के तहत चर्चा दि. 08.11.2001	विधानसभा क्षेत्र करेरा के अंतर्गत नरूआ सड में निर्माणाधीन 33 के.व्ही. सब स्टेशन का कार्य पूर्ण कराया जाना।	यह मेरा कमिटमेंट है, मैं उसे पूरा कराऊंगा।	1. नरौआ में निर्माणाधीन 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2. सड में निर्माणाधीन 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **3698/एफ-11/213/13/2002,** **दिनांक 04.06.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2.	17	परि.ता.प्र.सं.22 (क्र.973) दि. 23.11.2001	जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुरैना द्वारा अप्रैल 2000 से सितंबर 2000 की अवधि में क्रय की गई दवाओं में हुई अनियमितताओं की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	विषयांकित आश्वासन में अपर संचालक वित्त, स्थानीय कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. एच.एस. शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना के पद पर पदस्थी दौरान उनके द्वारा अप्रैल 2000 से सितंबर 2000 की अवधि में क्रय की गई दवाओं में हुई अनियमितताओं के लिए संचालनालय के पत्र दिनांक 27.05.2009 अनियमितताओं के लिए (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के उप नियम 3 के नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डॉ. एच.एस. शर्मा द्वारा उनको जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 29.06.2009 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का पूर्ण परीक्षणोपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण शासन को हुई वित्तीय हानि राशि रूपये 58,002+52,320 = कुल राशि रूपये 1,10,322/- (शब्दों में एक लाख दस हजार तीन सौ बाईस रूपये) संचालनालय के आदेश क्र.4/शिका./सेल-2/फा.क्र./252/10/2658 दिनांक 11.10.2010 द्वारा डॉ. एच.एस. शर्मा, सेवानिवृत्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर से वसूली करने के आदेश जारी किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **4986/6184/2010/सत्रह/मेडि-एक,** **दिनांक 03.11.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 11843/वि.स./ आश्वासन/ 11, दि. 24.05.2011 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***1. डॉ. एच.एस. शर्मा को जारी कारण बताओ नोटिस, प्राप्त उत्तर व जारी वसूली के आदेश की प्रति भेंजे।*** ***2. वसूली की अद्यतन स्थिति, तिथिवार वसूली गई राशि की जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार

नवम्बर, 2001 सत्र
कृषि विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	26	ता.प्र.सं.10 (क्र.30) दि. 06.11.2001	मंडी समिति कटनी के अंतर्गत पुरानी 30 नग शाप-कम- गोदाम के आवंटन में अनियमितता तथा संचालनालय बोर्ड की बगैर स्वीकृति के आवंटन किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	इस संबंध में जांच कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। एक तो ट्रांसपेरेसी से दुकानों का आवंटन, निर्देशों का पालन होना, दूसरी इसमें गलती संचालनालय की है या बोर्ड की है कि उन्होने अनुमति दी है या नहीं या उनको अनुमति मिली या नहीं इसकी जांच कराके हम कार्यवाही करेंगे।	प्रकरण की जांच करा ली गई है। जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों श्री आर.डी. तिवारी एवं श्री विश्वास काम्बे तत्कालीन सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी के विरूद्ध गुणदोष के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 17.10.2005 द्वारा एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **डी-10-351/2001/14-3,** **दिनांक 04.04.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	33	अता.प्र.सं.32 (क्र.1399) दि. 20.11.2001	कृषि उपज मंडी समिति कटनी के दूरभाष क्रमांक 53550 पर व्यय राशि की जांच तथा संस्था को हानि पहुंचाने वाले के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच में दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में प्राथमिक जांच कराई जाने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग स्तर से आरोप पत्र आदि जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया। परीक्षण उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 04.11.04 द्वारा तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री के.सी. मिश्रा को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **डी-10-379/02/14-3,** **दिनांक 04.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	42	अता.प्र.सं.104 (क्र.3739) दि. 27.11.2001	सहायक संचालक उद्यान प्रमुख उद्यान भोपाल द्वारा सामग्री के क्रय में अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही।	जांचोपरांत अनियमितता प्रमाणित पाये जाने पर विधिवत् कार्यवाही की जा सकेगी।	संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा प्रकरण की जांच कराई गई है। जांच में सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) को दोषी नहीं पाये जाने के कारण संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के आदेश दिनांक 23.11.04 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **3128/2856/2014/58,** **दिनांक 29.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	47	अता.प्र.सं.92 (क्र.1654) दि. 09.11.2001	जिला टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ ब्लाक की शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति की राशि के दुरूपयोग की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही।	जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संचालनालय के आदेश दिनांक 23.08.07 द्वारा श्री अभिलाष चतुर्वेदी, तत्का. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ को भविष्य के प्रति सचेत करते हुए विभागीय जांच समाप्त की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ-30-451/2001/बीस-2,** **दिनांक 15.09.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
7.	50	ता.प्र.सं.09 (क्र.208) दि. 23.11.2001	विकासखण्ड अधिकारी केसला द्वारा स्वीकृति से अधिक शिक्षा गारंटी केन्द्र प्रारंभ करने तथा गुरूजिओं को नियमित भुगतान करने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। हम इसमें रिइन्क्वायरी करा लेगें कि क्या परिस्थिति है, उसमें जो होगा उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।	दोषी अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग के होने के कारण उन पर कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक राशिके/033/2005/1022 दिनांक 27.05.2005 द्वारा लिखा गया है। पुन: पत्र क्र./राशिके/ईएण्डआर/2011/4300 दि. 20.06.11 द्वारा लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1908/2051/2012/20-2,** **दिनांक 14.09.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 20814/वि.स./ आश्वासन/11, दि. 18.10.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग से जानकारी प्राप्त कर भेजे साथ ही कार्यवाही में विलंब किये जाने के कारणों की जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
8.	59	अता.प्र.सं.134 (क्र.3375) दि. 23.11.2001	जिला रायसेन की शा.मा.शाला सुल्तानगंज में कार्यरत भृत्य की मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों को लंबित स्वत्वों का भुगतान।	संबंधित के स्वत्वों का भुगतान 05 सप्ताह के अंदर कर दिया जावेगा।	मृतक के परिजन श्री हरप्रसाद को अनुग्रह राशि रू. 810 = 00 एवं एफ.बी.एफ. की राशि रू.84=00 का दि.18.01.2002 को भुगतान कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ-30-44/2005/बीस-4,** **दिनांक 30.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
9.	62	ता.प्र.सं.16 (क्र.949) दि. 19.11.2001	श्योपुर जिले में कूनों नदी पर बांध बनाने की कार्यवाही एवं योजना संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही।	(1) परीक्षण चल रहा है, जब परीक्षण पूर्ण हो जायेगा तो यह कार्य हो जावेगा कोई दिक्कत नहीं है। (2) भिजवा देंगे।	जिला श्योपुर अंतर्गत कूनो नदी पर 42 मीटर ऊँचा बांध बनाकर चंबल नहर के कमाण्ड क्षेत्र में 50000 हेक्टेयर एवं चंबल कमाण्ड क्षेत्र के अतिरिक्त 16000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2003 से प्रभावशील यू.एस.आर. के दरों पर राशि रूपये 812 करोड़ की कूनों परियोजना का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। योजना के डूब क्षेत्र में कूनो पालपुर टाईगर सेंचुरी की 5808 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होना आंकलित है, जिससे प्रस्तावित योजना असाध्य हो गई है। अत: प्रस्तावित योजना के संदर्भ में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कोई भी प्रस्ताव वन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **21(ए)/01/एम.पी.एस./31/1097,** **दिनांक 29.04.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	96	अता.प्र.सं.122 (क्र.3295) दि. 23.11.2001	अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत द्वारा की गई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत ही नियमानुसार कार्यवाही करना संभव होगा।	जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हो गया है। इसी विषय से संबंधित एक प्रकरण, लोकायुक्त कार्यालय में विचाराधीन है, जिसे लोकायुक्त द्वारा दिनांक 31.12.2005 को समाप्त किया जा चुका है। डॉ. ए.एन.सेठ, तत्कालीन अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल द्वारा दिनांक 16.02.2005 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ-13-99/01/47,** **दिनांक 27.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
11.	106	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 08.11.2001	सागर जिले के राजघाट बांध के निर्माण में ग्राम हनोता, सागर, सलैया बरोदा सागर, मूडरा गढोली, सोठियां, बरखेड़ी मडिया, सेमरा चांदोनी, महुआखेड़ा के कृषकों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाना एवं हेड को राशि प्राप्त होने के प्रत्याशा में 70-80 लाख राशि प्रभावित किसानों को दिये जाने की कार्यवाही।	(1) इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की है। (2) मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसका विधिवत पालन किया जायेगा। (3) करीब 70.00 लाख रूपये के मुआवजो का उस पर मैने कहा है कि हम उनको देख लेगें जो विधि सम्मत कार्यवाही होगी हम कर लेंगे।	सागर जल आवर्धन परियोजना (राजघाट बांध) निर्माण में ग्राम बरोदासागर, झोलपाटन, सोठिया हनोतासागर, संजरा, हिन्नोद, सींगना, बम्होरी, गढ़ोलीबुजुर्ग, महुआखेड़ा, अगरा, घघर की कुल 50.83 हेक्टेयर भूमि का भू-अर्जन किया जाना प्रस्तावित कर रू. 1,50,000,00.00 (एक करोड़ पचास लाख) की मुआवजा राशि जमा की गई है। विस्थापित कृषक (24) ऐसे हैं जिन्हें तहसील देवरी के डूमर में भूमि के बदले भूमि प्रदाय की गई थी लेकिन व्यवहार न्यायालय के स्थगन के कारण कब्जा प्राप्त नहीं हो सका तथा ऐसे 34 विस्थापित कृषक है जिन्हें भूमि के बदले भूमि प्रदाय नहीं की गई, ऐसे कुल उपरोक्त ग्रामों के 58 व्यक्तियों को मुआवजा राशि वितरित किये जाने हेतु उपरोक्त राशि जमा की गई है। विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 एवं 6 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है । भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की जानकारी एवं अन्य जानकारी एकत्र होते ही अधिनियम की धारा 9(1) तहत हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा वितरित किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1293/797/2003/सात/2-ए,** **दिनांक 22.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	107	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 09.11.2001	सतना जिले के तहसील मुख्यालय रामपुर बघेलान में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से दुकानें हटाने की जांच एवं उन्हें विधिवत स्थान दिलाये जाने की कार्यवाही व प्रकरण की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाना।	मैं स्वयं रामपुर बघेलान चलूंगा और जिन लोगों के साथ में अगर आप समझते है कि उनके साथ में ज्यादती हुई है तो उनको विधिवत जगह दिलवा देंगे।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
13.	109	ता.प्र.सं.14 (क्र.326) दि. 19.11.2001	इंदौर जिले में श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, श्री रजनीश श्रीवास्तव, तहसीलदार तथा श्री सुनील पाटील, नायब तहसीलदार द्वारा तबादला आदेश के विरूद्ध लिये गये स्टे आदेशों को निरस्त कर रिलीव करने की कार्यवाही।	1. जैसे ही स्टे वेकेट हो जाता है, तमाम तबादले कर दिये जायेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 2. जैसे ही स्टे वेकेट हो जायेगा, उनको वहां से रिलीव कर दिये जायेगा।	तबादला आदेश का क्रियान्वयन हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **977/459/2013/सात-4ए,** **दिनांक 18.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
14.	110	ता.प्र.सं.17 (क्र.2304) दि. 19.11.2001	तहसील जौरा में एम.एस. रोड पर संस्कृत विद्यालय हेतु आवंटित भूमि के पट्टे उल्लंघन की जांच एवं पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही।	1. पट्टे की शर्त के उल्लंघन के कारण जांच-जांचकर कार्यवाही प्रकरण के निर्णय के उपरांत की जायेगी। 2. इसके बारे में विभाग से विचार विमर्श कर लेगें और जो भी संभव होगा वह कार्यवाही इनके खिलाफ कर देंगे। 3. विधिवत कार्यवाही होगी और उसके बाद जो भी उनका उत्तर आयेगा उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
15.	111	परि.अता.प्र.सं.06 (क्र.379) दि. 19.11.2001	ग्राम भीमपुर, जिला बैतूल में श्री कली कन्या छात्रावास व स्कूल निर्माण हेतु दान दी गई भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दोषी सरपंच व अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही एवं दोषी सरपंच के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
16.	114	अता.प्र.सं.47 (क्र.1537) दि. 19.11.2001	सतना जिले के मैहर विकासखण्ड में ग्राम पटवारी हल्का नं. 33 वंशीपुर के काबिजयात काश्तकार को भूमि का पट्टा देने की कार्यवाही।	प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही शासन स्तर पर संभव हो सकेगी।	सतना जिले के मैहर विकासखंड में ग्राम/पटवारी हल्का नं. 33 वंशीपुर के काबिजयात 73 कास्तकारों को भूमि का पट्टा न्यायालय तहसीलदार मैहर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5अ19/2001-2002 आदेश दिनांक 16.11.2001 को प्रदाय कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ-20-159/2009/सात/2ए,** **दिनांक 26.12.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	117	ता.प्र.सं.02 (क्र.2696) दि. 26.11.2001	विदिशा जिले के अंतर्गत स्थित शासकीय एवं निजी कालोनियों से नियमानुसार 15 प्रतिशत भूमि में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आवासहीनों को पट्टे उपलब्ध कराने की कार्यवाही।	मुआवजा भुगतान पश्चात् पट्टे आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र क्रमांक 23/क्यू./ नजू/08, दिनांक 06.02.2008 के द्वारा आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल से आश्वासन की कंडिका की अभिपूर्ति हेतु 15 प्रतिशत आरक्षित भूमि के मुआवजे की राशि रू. 2,69,740 (दो लाख उनहत्तर हजार सात सौ चालीस रू.) उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ 21-204/01/सात-नजूल,** **दिनांक 23.06.2009** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 15007/वि.स./आश्वासन/ 12, दि. 07.07.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***भूमि के मुआवजे की राशि उपलब्ध कराये जाने की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
18.	121	अता.प्र.सं.67 (क्र.2857) दि. 26.11.2001	सीधी जिले के सिंगरौली तहसील में पटवारी हल्का हर्रहवा की भूमि का गलत तरीके से अपात्र व्यक्तियों को भूमि स्वामी घोषित करने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही व गलत प्रविष्ट निरस्त किया जाना।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर जिला सिंगरौली से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील सिंगरौली के ग्राम हर्रहवा की भूमि खसरा क्रमांक 647, 793, 794, 907, 812, 984, 1215, 1318, 1400, 931 एवं 1321 वर्तमान चालू रिकार्ड भूमि स्वत्व में दर्ज अभिलेख है। आराजी नंबर 984/1, 095 एवं 984/2.094 हे. सासन पावर लिमिटेड को अर्जित हो चुकी है। शेष उक्त भूमियों में से आराजी क्रमांक 647, 793, 794, 831 में सिविल न्यायालय से स्थगन होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होगा। दोषी कर्मचारी श्री हरिनारायण सिंह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक को कलेक्टर द्वारा दिनांक 26.08.2002 को निलंबित किया गया था तथा विभागीय जांच संस्थापित करते हुए कार्यवाही की गई है। वर्तमान में दोषी राजस्व निरीक्षक श्री सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ 3/ग्राभूप्र-आश्वासन/2015,** **दिनांक 16.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
19.	124	परि.अता.प्र.सं.27 (क्र.735) दि. 06.11.2001	भोपाल जिले में शराब की दुकानों पर विक्रय हेतु 42 कर्मचारियों को भण्डार का कर्मचारी बताकर सेवायें सौंपने पर भण्डार के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	पुलिस अधीक्षक, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक पु./अधी./भो./2008/301, दि. 25.09.08 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण की विवेचना के उपरांत प्रकरण के आरोपी अनिल मौरे पुत्र एकनाथ मौरे प्रभारी अधी. आबकारी कक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार भोपाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर प्रकरण में सीजेएम न्यायालय भोपाल में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही विचाराधीन होने से अब विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **5009/3757/2008/15-1,** **दिनांक 17.12.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
20.	125	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.1521) दि. 20.11.2001	सतना जिले की समस्त सेवा सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण में जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार कुल रू. 3,50,49,420.88 की आर्थिक गबन प्रतिवेदित है, जिसमें सभी प्रकरणों में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64 के अंतर्गत प्रकरण दायर किये गये है एवं गबन राशि के विरूद्ध रू. 43,02,657.70 की वसूली की जा चुकी है। बैंक स्तर पर 33 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जा चुका है तथा 12 कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. की कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **4030/3775/2008/15-1,** **दिनांक 04.12.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 15552/वि.स./आश्वासन/ 12, दि. 12.07.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***शेष राशि वसूली एवं 12 कर्मचारी की एफ.आई.आर. की कार्यवाही की प्रति. की जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार

नवम्बर, 2001 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	101	ता.प्र.सं.14 (क्र.1674) दि. 09.11.2001	भोपाल के एकांत पार्क में मिट्टी भराई के कार्य में अनियमितता की जांच।	जी हां करवा लूंगा।	प्रकरण में श्री ए.के. द्विवेदी, तत्कालीन अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मंडल भोपाल के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्ण की जाकर दण्डादेश क्रमांक एफ 5-51/01/1-34, दिनांक 27.08.2010 द्वारा श्री ए.के. द्विवेदी को देय पेंशन में से 5 प्रतिशत पेंशन की कटौती 2 वर्ष के लिए किये जाने की शास्ति से दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **58/5806/2012/1/34,** **दिनांक 03.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
22.	130	ता.प्र.सं.01 (क्र.2817) दि. 21.11.2001	जिला भिण्ड के विधानसभा क्षेत्र मेहगांव में हैण्डपंप खनन में की गई अनियमितता की जांच।	जी हॉ।	विधानसभा क्षेत्र मेहगांव में वर्ष 1998 से 2001 में खनित किये गये नलकूपों में की गयी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्रादि के प्रारूप मुख्य अभियंता ग्वालियर से आरोप पत्र प्राप्त होते ही जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **3502/1516/2011/2/34,** **दिनांक 09.06.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 14251/वि.स./ आश्वासन/11, दि. 30.01.2011 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***(1) अनियमितता के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को आरोप पत्र कब दिये गये एवं उनसे आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त हुआ अथवा नहीं, यदि उत्तर प्राप्त हो गया तो उक्त पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई की अद्यतन स्थिति।*** ***(2) वर्ष 2001 सत्र के आश्वासन के निराकरण में विलंब के कारणों और विलंब के दोषियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
23.	131	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.2441) दि. 28.11.2001	कार्यपालन यंत्री कटनी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही व जांच कार्य पूर्ण किया जाना।	जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर लिया जावेगा।	श्री जे.एस. बघेल, सहायक यंत्री के विरूद्ध प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र क्रमांक 9664 दिनांक 19.12.2003 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1874/2496/2008/1/34,** **दिनांक 24.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	146	अता.प्र.सं.30 (क्र.3044) दि. 29.11.2001	नौगांव-सतना मिलेनियम सड़क निर्माण की जांच एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही।	प्रति उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	(1) म.प्र. शासन, लो.नि.वि. के ज्ञाप क्रमांक-एफ-17-48 /स्था/19 दिनांक 28.11.2001 एवं 22.12.2001 द्वारा प्रकरण से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर आदेश दिनांक 17.04.2002 द्वारा आयुक्त विभागीय जांच म.प्र. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं अधीक्षण यंत्री (क्वा/क) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि. भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया। (2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-17-48/01/स्था-19 दिनांक 20.11.2003 द्वारा 15 अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया। (3) प्रकरण शेष रहे दो अधिकारियों के विरूद्ध कायरण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप उनसे प्राप्त कारण बताओ सूचना पत्रों के परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन लोकायुक्त संगठन को भेजे जाने पर संगठन द्वारा प्रकरण दिनांक 27.03.2012 को समाप्त किये जाने से विभागीय जादेश दिनांक 28.05.2012 द्वारा इन दोनों अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया। (4) ठेकेदार मेसर्स तोमर बिल्डर्स एण्ड कान्टेक्टर्स प्रा.लि. ग्वालियर का पंजीकरण एक वर्ष के लिये निलंबित किये जाने के आदेश प्र.अ. द्वारा दिनांक 04.12.2001 को जारी किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ-21-109/2005/स्था./19,** **दिनांक 01.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	151	अता.प्र.सं.24 (क्र.618) दि. 06.11.2001	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत मेहगांव (भिण्ड) विधानसभा क्षेत्र में शेष मार्गों पर कार्य कराये जाने हेतु निविदाऐं जारी की जाना एवं जिन मार्गों पर निविदाएं जारी की गई है। उनका कार्य पूर्ण कराये जाने की अवधि।	नियमानुसार यथाशीघ्र कार्यादेश जारी होने से 9 माह में।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत मेहगांव भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में शेष मार्गों की निविदाएं जारी कर 2000-01 के स्वीकृत समस्त मार्गों का निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2003 तक पूर्ण करा लिया गया है। वर्ष 2001-02 में स्वीकृत समस्त मार्गो का निर्माण कार्य दिनांक 15.12.2004 तक पूर्ण करा लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **9547/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी.6/वि.स.आश्वा/151/11-01** **दिनांक 04.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
26.	160	परि.अता.प्र.सं.109 (क्र.3721) दि. 27.11.2001	जनपद पंचायत नागौद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के खाते में विकास कार्यों हेतु आवंटित राशि जमा न कराये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	सतना जिले की जनपद पंचायत नागौद क्षेत्रान्तर्गत कार्यालय जिला पंचायत सतना से ग्राम पंचायतों के खाते में राशि जमा करने हेतु बैंक के नाम से चैक प्राप्त होता है। जिसे समयावधि में जनपद पंचायत द्वारा संबंधित बैंक को चैक ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने हेतु भेज दिया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ-15-84/2011/22/पं-2,** **दिनांक 09.08.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं.18183/वि.स./आश्वासन/ 2012, दि.29.08.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***ग्राम पंचायतों के खाते में राशि जमा न होने की जांच की गई अथवा नहीं यदि की गई है तो क्या कोई दोषी पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई। यदि जांच नहीं की गई तो उसके कारणों की टीप।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	163	अता.प्र.सं.24 (क्र.2123) दि. 27.11.2001	बीना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत के पंचायतकर्मी के विरूद्ध अवैध कार्य एवं शासकीय राशि के दुरूपयोग की जांच एवं कार्यवाही।	जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जनपद पंचायत बीना की ग्राम पंचायत बरोदिया के सचिव श्री शिवकुमार तिवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं भूतपूर्व सरपंच श्रीमती पार्वती बाई तथा तत्कालीन सरपंच श्रीमती शांति बाई यादव के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। जिसमें तत्कालीन सरपंच श्रीमती शांतिबाई यादव के विरूद्ध मिट्टी, मुरम रोड कार्य में राशि रू. 43000/- रूपये तथा तालाब कार्य की राशि 16700/- रूपये मिलाकर कुल 49700/- रूपये की वसूली प्रस्तावित थी। उक्त कार्य पूर्ण हो जाने के कारण प्रकरण वसूली हेतु नहीं भेजा गया। पूर्व सरपंच श्रीमती पार्वतीबाई से रू. 11700/- की वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित थी, जिसमें रू. 17000/- पंचायत भवन के कार्य तथा रू. 100000/- पुलिया निर्माण कार्य में वसूली प्रस्तावित थी। पंचायत भवन का कार्य पूर्ण हो जाने के कारण शेष राशि रू. 100000/- की वसूली का प्रकरण कलेक्टर महोदय को भेजा गया, जिसमें दिनांक 16.11.06 में अपर कलेक्टर जिला सागर द्वारा निर्णय पारित हुआ है तथा वसूली नहीं पाई गई। श्री शिवकुमार तिवारी सचिव ग्राम पंचायत बरोदिया के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 69 के तहत कलेक्टर जिला सागर द्वारा आदेश क्रमांक 550 दिनांक 02.02.05 के तहत सचिवीय शक्तियां वापिस ली गई थी। इस प्रकरण में कार्यालय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय सागर संभाग सागर के आदेश क्रमांक 1452 दिनांक 21.03.07 के द्वारा आरोप प्रमाणित न होने के कारण अधिनियम की धारा 69 के तहत पुन: सचिवीय अधिकार यथावत वित्तीय अधिकार सहित प्रदत्त किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **4128/एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र./एनआर-11/वि.स./2011,** **दिनांक 26.04.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
28.	165	अता.प्र.सं.36 (क्र.2470) दि.27.11.2001	खातेगांव विकासखंड की मेल पिपल्या पंचायत अंतर्गत सचिव द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों को पंचायत के सभी पदों पर रखे जाने की जांच एवं सचिव को पद से पृथक करने की कार्यवाही।	रिश्तेदार पाये जाने पर उसे सचिव पद से पृथक किया जावेगा।	सचिव द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। सचिव के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **एफ-15-86/2005/22/पं.2,** **दिनांक 29.08.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
29.	166	अता.प्र.सं.60 (क्र.3118) दि. 27.11.2001	श्योपुर एवं कराहल विकासखण्ड में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किये गये निर्माण कार्यो की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	अधीक्षण यंत्री मण्डल चंबल के पत्र क्र. 561 मुरैना दि. 28.04.15 से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण में निरीक्षण/ जांच किए गए 24 कार्यो के संबंध में बिंदुवार प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्रानुसार है। **परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार** **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **409-22/वि-10/ग्रायांसे/15,** **दिनांक 23.07.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
गृह विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	171	अता.प्र.सं.23 (क्र.922) दि. 08.11.2001	बालाघाट जिले में संचालक मण्डल के अध्यक्ष रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा उमेश वर्मा को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में अप.क्र. 8/2001 में चालान प्रस्तुत किया जाना।	प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।	थाना लांजी के अप.क्र. 8/2001 धारा 406, 420, 465, 468, 471 120बी भा.द.वि. के प्रकरण में संदेहियों के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण में खात्मा क्र. 3/2006 दिनांक 23.03.2006 को कता किया गया है। प्रकरण की केस डायरी का परीक्षण पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन द्वारा भी किया गया है। उनके द्वारा परीक्षण में भी साक्ष्य नहीं पाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **5303/5313/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 12.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
31.	183	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 21.11.2001	सतना जिले के मैहर स्थित शारदा देवी मंदिर में आग लगने की अफवाह से हुई भगदड़ में लोगों के घायल/मरने की घटना में एस.डी.एम., टी.आई. व पुलिस अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही तथा डॉक्टर के ड्यूटी में न होने की जांच व घायलों को सहायता राशि बढ़ाकर दी जाना।	1. विधायकों की कमेटी को अनुशंसा करेगी और जिन-जिन पर जिम्मेदारी फिक्स करेगी हम उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जायेंगे। 2. सदन की भावनाओं को देखते हुए एसडीएम को हटा देंगे और वहां के टीआई ओर अन्य जो अधिकारी हैं उनको भी हम तुरंत हटा देंगे। 3. डॉक्टर वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे या नहीं इसको हम जांच में दिखवा लेंगे। 4. इसलिये हम चाहते थे कि जो वरिष्ठ अधिकारी चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जिनकी गलतियां हैं वे जांच में आ जायेंगी।	घटना की मजिस्ट्रियल जांच पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को इस घटना के लिये दोषी नहीं ठहराया गया है किंतु तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक बी.डी. त्रिपाठी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री नवीन तिवारी को मैहर से हटया गया था। घटना के लिये मोर पंख लगाये नव युवकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी घटना के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **4916/4948/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 28.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
32.	184	ता.प्र.सं.16 (क्र.3734) दि. 27.11.2001	अब्दुल रफीक, उप यंत्री के विरूद्ध मुख्यमंत्रीजी की फर्जी नोटशीट बनाने पर कार्यवाही।	प्रकरण अभी जांच में है। जांच के निष्कर्ष के बाद विधि सम्मत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच अ.अ.वि., पुमु., भोपाल द्वारा की गई जांच पर अपराध पाये जाने से दिनांक 02.07.2002 को अप.क्र. 5/02 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी कर दि. 20.06.2008 को चालान क्र. 3/08 तैयार कर दिनांक 30.06.2008 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. भोपाल पेश किया गया। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **4765/4370/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 23.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर, 2001 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
33.	193	प्र.सं.37 (क्र.1001) दि. 07.11.2001	नगर निगम सतना द्वारा गंगा भवानी नगर कॉलोनी के कालोनाईजर से राशि की वसूली।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	आयुक्त नगर निगम सतना को प्रकरण में जांच करने के आदेश दिए गए है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **6469/2008/18-1,** **दिनांक 29.7.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 3148/ वि.स./आश्वासन/ 2009, दि. 07.03.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***नगर निगम सतना द्वारा गंगा भवानी नगर कालोनी के कालोनाईजर से राशि की वसूली की जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
34.	194	ता.प्र.सं.49 (क्र.1197) दि. 07.11.2001	दमोह जिले की पथरिया निकाय को सड़क निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि को अन्य कार्यों में व्यय किए जाने की जांच तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	उप संचालक सागर को प्रकरण में जांच करने के आदेश दिए गए है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **6473/2008/18-1,** **दिनांक 29.7.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 3148/ वि.स./आश्वासन/ 2009 दि. 07.03.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***दमोह जिले की पथरिया निकाय को सड़क निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत राशि को अन्य कार्यों में खर्च किये जाने की जांच तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
35.	197	अता.प्र.सं.56 (क्र.1228) दि. 07.11.2001	नगर पालिका की फाइलों की वापसी के संबंध में जांच कार्य पूर्ण किया जाना।	अधीक्षण यंत्री से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा जांच प्रतिवेदन पत्र क्र. 3761, दिनांक 29.11.2001 को प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात नगर पालिका इटारसी की नस्तियां वापिस की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **532/57/18-2/05,** **दिनांक 12.02.2007**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	203	ता.प्र.सं.07 (क्र.2150) दि. 21.11.2001	विधानसभा क्षेत्र पाटन अंतर्गत ग्राम शहपुरा में बस स्टेण्ड पर सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण।	बस स्टेण्ड के पास भूमि उपलब्ध होने पर नगर पंचायत शहपुरा द्वारा सुलभ काम्पलेक्स के निर्माण की कार्यवाही होगी।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत शहपुरा जिला जबलपुर विधानसभा क्षेत्र पाटन द्वारा बस स्टेण्ड पर सार्वजनिक सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1632/1391/2011/18-2,** **दिनांक 27.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
37.	204	ता.प्र.सं.15 (क्र.1772) दि. 21.11.2001	सतना नगर पालिक निगम द्वारा गंदी बस्ती मद से बनाई गई टंकी पी.एच.ई. विभाग से मूल्यांकन न कराए जाने की जांच एवं नियम विपरीत सबमर्सिवल पंप क्रय करने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	1. प्रकरण की जांच कराई जा रही है। 2. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।	आयुक्त नगर निगम सतना को प्रकरण में जांच करने के आदेश दिए गए है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **6466/2008/18-1,** **दिनांक 29.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
38.	205	ता.प्र.सं.22 (क्र.1923) दि. 21.11.2001	नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में लिप्त होने से पद मुक्त करने की कार्यवाही।	उप संचालक सागर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।	उप संचालक सागर को प्रकरण में जांच के निर्देश दिए गए है। जांच के निष्कर्षो के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्यवाही प्रारंभ होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6451/2008/18-1,** **दिनांक 29.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 3148/ वि.स./आश्वासन/2009 दि. 07.03.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में लिप्त होने से पद मुक्त करने की कार्यवाही।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
39.	208(अ)	परि.अता.प्र.सं.15 (क्र.1005) दि. 21.11.2001	नगर पंचायत अध्यक्ष बरेला श्रीमती उर्मिला सिंह के द्वारा पद का दुरूपयोग कर अपने रिश्तेदारों को शासकीय योजना का लाभ दिलाने व गरीबी रेखा सूची में नाम सम्मिलित किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	जिला शहरी विकास अभिकरण जबलपुर के पत्र क्र. 357/ डूडा/2002 दिनांक 19.07.2002 द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि प्रेसीडेंट इन काउन्सिल की बैठक दिनांक 28.03.2002 में संकल्प क्र. 91 के अनुसार गरीबी रेखा सूची वार्ड क्र. 12 के सरल क्र. 47,49,41 पर अंकित श्री सहदेव सिंह गौर, श्री सुजीत कुमार गौर और श्री अर्जुन सिंह गौर का नाम उक्त निर्णय अनुसार काटा जा चुका है। इसके अतिरिक्त कु. सारिका सिंह गौर पुत्री श्री सहदेव सिंह गौर को नगर पंचायत बरेला के पत्र क्र. 167 दिनांक 04.07.2002 एवं पत्र क्र. 1563 दिनांक 06.12.2012 अनुसार कु. सारिका गौर द्वारा रू. 2,000/- क्र. 79/52 दिनांक 18.03.2013 द्वारा जमा किया गया शेष राशि 4000/- रू. जमा हेतु पत्र क्र. 425 दिनांक 09.04.2013 जारी किया गया है **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1708/1575/2012/18-2,** **दिनांक 03.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40.	208(ब)	परि.अता.प्र.सं.39 (क्र.1773) दि. 21.11.2001	सतना नगर पालिक निगम द्वारा क्रय किये गए सबमर्सिवल पंप का मूल्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मूल्यों से अधिक होने की जांच।	प्रकरण की जांच कराई जा रही है।	आयुक्त, नगर निगम सतना को प्रकरण में जांच करने के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **6463/2008/18-1,** **दिनांक 29.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 3148/वि.स./ आश्वासन/2009 दि. 07.03.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***सतना नगर पालिका निगम द्वारा क्रय किये गये सबमर्सिवल पंप का मूल्य लोक.स्वा.यांत्रिकी विभाग के मूल्यों से अधिक होने की जांच की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
41.	217	अता.प्र.सं.34 (क्र.1930) दि. 21.11.2001	शहडोल जिले की धनपुरी एवं पसान नगर पालिका द्वारा आदिवासी सम्मेलन से संबंधित विज्ञापन में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना व्यय की गई राशि की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही।	नगर पालिका धनपुरी एवं पसान द्वारा प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित अनुसार व्यय की गई राशि के संबंध में जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	उप संचालक रीवा को प्रकरण में जांच करने के आदेश दिए गए है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **6460/2008/18-1,** **दिनांक 29.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 3148/वि.स./आश्वासन/ 2009 दि. 07.03.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***शहडोल जिले की धनपुरी एवं पसान नगर पालिका द्वारा आदिवासी सम्मेलन से संबंधित विज्ञापन में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना व्यय की गई राशि की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार
42.	218	अता.प्र.सं.44 (क्र.2115) दि. 21.11.2001	नगर पालिका परिषद होशंगाबाद में मेसर्स विष्णु इंटरप्राइजेस के निर्माण कार्यों का भुगतान।	जांच पूर्ण होने पर ही अंतिम देयक बनाया जा सकेगा।	ठेकेदार द्वारा अभी तक अंतिम देयक प्रस्तुत नहीं किया गया है। देयक प्रस्तुत होने पर परीक्षण उपरांत भुगतान किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1720/1458/2013/18-2,** **दिनांक 03.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
43.	220	अता.प्र.सं.53 (क्र.2297) दि. 21.11.2001	उप पंजीयक कार्यालय, बैरसिया (भोपाल)में न.पा. के बस स्टेण्ड पर बनी दुकानों को मूल आवंटी को आवंटन के पश्चात 3-4 अन्य व्यक्तियों को नियम विरूद्ध विक्रय/ हस्तांतरण किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	नगर पालिका बैरसिया के पत्र क्रमांक 2957/ राजस्व/11/बैरसिया दिनांक 01.10.2011 द्वारा प्रकरण की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2000 में बस स्टेण्ड पर निर्मित दुकानों में 04 हस्तांतरण हुए थे, जिनका पंजीयन जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तारीखों के अनुसार किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1706/2491/2011/18-2,** **दिनांक 03.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	222	अता.प्र.सं.84 (क्र.3057) दि. 21.11.2001	नगर निगम भोपाल के वार्ड क्र. 53 में गणेश चौक डूडी इमली संपर्क मार्ग निर्माण में अमानक स्तर के निर्माण की जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	**वार्ड क्रं. 53 गणेश चौक डूडी इमली सड़क/नाली निर्माण से संबंधित वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-** प्रश्नाधीन क्षेत्र में कार्य विधिवत् सक्षम स्वीकृति उपरांत नियमानुसार कराया गया है। कार्य पूर्ण होने एवं कार्य संतोषप्रद होने एवं भुगतान की अनुशंसा तत्कालीन वार्ड पार्षद, वार्ड क्रं. 53 द्वारा की गई है, जिसका विधिवत् परीक्षण उपरांत भुगतान किया गया है। स्थल पर भी कार्य का निरीक्षण किया गया है स्थानीय रहवासियों से भी इस संबंध में संपर्क किया गया था। स्थल पर डब्ल्यू.बी.एम. रोड/ नाली की गुणवत्ता ठीक पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1715/1555/2012/18-2,** **दिनांक 03.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
45.	223	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 23.11.2001	डबरा जिले की डबरा नगर पालिका में गंभीर अनियमितताओं की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	1. इस बारे में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 2. इनके जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सभी प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी 3. अभी जांच के परिणाम तक नहीं पहुंचे और आपने बताया कि जांच 08.11 और जो उत्तर देने की तारीख अभी 22.11 अभी तक सचिवालय भोपाल में यह कागज उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से इनका परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी दण्डात्मक कार्यवाही हो सकती है, वह निश्चित करेंगे। 4. मैने पहले ही यह कहा है कि इनके विरूद्ध जो आरोपों की जांच की जा रही है यदि प्रमाणित होता है तो निश्चित रूप से इनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।	मुख्य अभियंता लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के पत्र क्र. 4282/बी/208/2001-02 दि. 31.03.2009 के द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेशानुसार दिनांक 24.02.2009 को प्रकरण संगठन स्तर पर समाप्त किया जाकर मूल अभिलेख नगर पालिका डबरा को वापस लौटा दिये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1641/1347/2015/18-3,** **दिनांक 06.10.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.	225	परि.अता.प्र.सं.08 (क्र.1254) दि. 28.11.2001	देवास नगर पालिका में एन.एच. 3 रोड़ पर डिवाइडर के निर्माण कार्य का ठेका सी.एस.आर. के रेट से अधिक राशि पर दिए जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार नगर पालिक निगम देवास के तत्कालीन महापौर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर समाधानकारक होने के कारण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-10/2004/18-3 भोपाल दिनांक 04.10.2005 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री पी.एल. खाण्डेगार तत्कालीन आयुक्त, एवं श्री एस.एस. भाटिया तत्कालीन सहायक यंत्री, नगर पालिक निगम देवास सेवानिवृत्त हो गये थे जिसके कारण नियमानुसार विभागीय जांच नहीं की जा सकी। श्री सुरेश चंद्र व्यास, तत्कालीन उपयंत्री नगर निगम देवास की विभागीय जांच, निगम के कर्मचारी होने के कारण आयुक्त, नगर निगम देवास द्वारा समिति गठित कर की गई थी जिसमें श्री व्यास के ऊपर अधिरोपित आरोप सिद्ध नहीं पाये गये थे। जिस हेतु आयुक्त नगर निगम देवास द्वारा दिनांक 30.06.2006 को आदेश पारित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **2413/1382/18-3,** **दिनांक 17.07.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
47.	228	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.2224) दि. 28.11.2001	बैतूल में स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका द्वारा विद्युत सामग्री खरीदी में अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल ने बताया कि स्वास्थ्य शाखा द्वारा कम दर पर ही आवश्यकतानुसार वायर बन्डल क्रय किया गया, जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **2679/2008/18-1,** **दिनांक 10.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	236	अता.प्र.सं.55 (क्र.3480) दि.28.11.2001	नगर पालिका सीहोर द्वारा विभिन्न करों की वसूली न किए जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	अपेक्षाकृत कम वसूली के संबंध में जांच कराई जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में जांच कराई गई। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार आरोप पत्रादि जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :–** **1032/3790/2011/18-1,** **दिनांक 03.06.2013** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रं. 687/वि.स./ आश्वासन/2009 दि. 07.03.2013 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- **प्रकरण में जांच कब पूर्ण हुई, आरोप पत्र कब दिये गये। प्रकरण के निराकरण में हो रहे विलंब के उत्तरदायियों पर की गई कार्यवाही तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति।** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 01 दिसम्बर, 2015

(राजेन्द्र पाण्डेय)
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

(22)

आ.क्र.166

परिशिष्ट - अ

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, चम्बल मण्डल मुरैना (म0प्र0)

चम्बल भवन IIIrd फ्लोर ए.बी. रोड मुरैना फोन.07532-230131 ई-मेल-sereschmbl@rediffmail.com

क्र./5641 /ग्रा.या.से./तक/15 मुरैना,दिनांक 28 अप्रैल 2015

प्रति,

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
म0प्र0 भोपाल

विषयः—विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3118 पर बने आश्वासन क्रमांक 166 की पूर्ति एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी बावत्।

संदर्भः—आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्र./2226/22/वि—10/ग्रायांसे/15 दिनांक 25.04.2015

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र मे विहित निर्देश के पालनार्थ जिसमें विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3118 पर बने आश्वासन क्रमांक 166 का निराकरण कर पूर्ण उत्तर दिनांक 28.04.2015 तक भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण में निरीक्षण/जांच किये गये 24 कार्यो के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

1. निरीक्षण/जांच किये गये कार्यो की संख्या 24 है जिनमें से 1 से 6 तक के कार्यो में कोई कार्यवाही नही होने की आवश्यकता की जानकारी अंकित है।
2. क्रमांक 07 पर अंकित ननावद से सांकुडली पहुंच मार्ग में अनियमितता के लिये तत्कालीन सरपंच दोषी पाये जाने से रू. 9040/— की बसूली की जानी थी जो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग श्योपुर के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 05.01.2015 के अनुसार मनी रसीद क्रमांक 62/86 दिनांक 29.12.2014 बसूली की गई है। छायाप्रति संलग्न है।
3. क्रमांक 08 पर अंकित वर्धा से पहेला मिट्टी एवं मुरम कार्य की राशि बसूली कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग श्योपुर के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 05.01.2015 के संलग्न प्रपत्र "क" के अनुसार संबंधितो से बसूली कर ली गई है केवल एक उपयंत्री श्री एम.के.गोयल से राशि रू. 1100/— बसूल की गई तत्पश्चात न्यायालय से स्थगन आदेश जारी होने से बसूली यथा स्थिति में रोक दी गई है छायाप्रति संलग्न है।
4. क्रमांक 09 पर अंकित डब्ल्यूबीएम मार्ग जाखदा से बरगावां लम्बाई 4.5 कि.मी. में अनियमितताओं के लिये संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा जारी विभागीय जांच आदेश के बाद आदेश क्रमांक/विकास/23—4/10/2000/14133 दिनांक 29.12.2006 द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जाकर संबंधित अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया है आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
5. क्रमांक 10 से 19 तक अंकित निर्माण कार्यो में अनियमितताओं के लिये श्री एम.एस.यादव तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कराहल (जल संसाधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर) आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के आदेश क्रमांक/विकास/23—4/1/99 दिनांक 14.01.2000 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है इनका विभागीय जांच प्रतिवेदन अधीक्षण यंत्री निचला चम्बल मण्डल मुरैना से प्राप्त नही होने से आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक/विकास/23—4/01/1999/5894 दिनांक 17.10.2014 द्वारा स्मरण पत्र भेजा गया है छायाप्रति संलग्न है।

28/4
862(1)

6. क्रमांक 20, 21 एवं 22 पर अंकित आंगनवाडी भवन गुरनावदा अनियमितताओं के लिये निम्न अधिकारी / कर्मचारी दोषी थे जिनके विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :–
   1. श्री राकेश शर्मा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर के विरूद्ध अवर सचिव म0प्र शासन पशुपालन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक / 6–5 / 2009 / पैंतीस / दिनांक 22.01.2010 द्वारा अंतिम निर्णय आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया है छायाप्रति संलग्न है।
   2. श्री एम.एस.यादव तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्योपुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रकरण प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल को आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक विकास / 23–4 / 90 / 2001 / आई / दास्त / 886 दिनांक 02.02.2010 द्वारा भेजा गया है छायाप्रति संलग्न है।
   3. श्री एच.एल.गुप्ता उपयंत्री ग्रा.या.से. श्योपुर के विरूद्ध विकास आयुक्त म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक / 2716 / 145 / वि–जांच / 22 / वि–3 / ग्रायासे / 2010 दिनांक 22.04.2010 द्वारा अन्तिम निर्णय पारित कर रू. 48908 / – की वसूली एवं एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। छायाप्रति संलग्न है।
7. बिन्दु क्रमांक 23 कराहल से रानी पुरा मिट्टी मुरम रोड में अनियमितताओं की जांच हेतु संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल स्तर पर विभागीय जांच आदेश क्रमांक 1039 दिनांक 14.01.2000 संस्थित होने का उल्लेख है।
8. बिन्दु क्रमांक 24 डब्ल्यूबीएम मार्ग ककरधा कार्य में अनियमितताओं के लिये दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 1090 दिनांक 04.12.2002 से आरोप पत्र इत्यादि जारी किये जाने का उल्लेख है।

उत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उक्तानुसार सहपत्र 17

(हस्ताक्षर) 28/04/15
अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
चम्बल मण्डल मुरैना (म.प्र.)

पृ.क्र. / / ग्रा.या.से. / तक / 15 मुरैना,दिनांक अप्रैल 2015

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना की ओर आपके पत्र क्र. / वि / 19 / 2009 / 6465 दिनांक 24.11.2014 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 158 दिनांक 30.01.2015 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग श्योपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक 811 दिनांक 27.4.2015 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
चम्बल मण्डल मुरैना (म.प्र.)

"श्योपुर एवं करहाल विकास खण्ड में ग्रा.यां.सेवा द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

संलग्न--प्रपत्र

क्र.	कार्य का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1	केरी से बीलं डबरा अर्थवर्क एवं मुरूमीकरण पहुच मार्ग 2 किमी.	कार्य निरस्त होने से कोई कार्यवाही नही की गई।
2	गोरस तिराहे से सहराना डब्ल्यू बीएम मार्ग 1 किमी	कार्य निरस्त होने से कोई कार्यवाही नही की गई।
3	सोधनी से पटोना	कार्य संतोषप्रद पाये जाने से कोई कार्यवाही नही की गई।
4	टिकटोली से हथेडी अर्थवर्क एवं मुरूमीकरण	कार्य संतोषप्रद पाये जाने से कोई कार्यवाही नही की गई।
5	डूडीखेडा से मरेठा अर्थवर्क एवं गुरूमीकरण 1 किमी	कार्य संतोषप्रद पाये जाने से कोई कार्यवाही नही की गई।
6	कोलमी स्टापडेम सहराना.	लोकायुक्त द्वारा जांच उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध किया।
7	ननावद से सांकुडली पहुंच मार्ग	अनियमितता के लिये तत्कालीन सरपंच दोषी पाये जाने से रू. 9040/- की वसूली की जानी थी जो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग श्योपुर के पत्र क्र. 21 दिनांक 05.01.20156 के अनुसार मनी रसीद क्रमांक 62/86 दिनांक 29.12.14 बसूली की गई है।
8	वर्षा से पहेला मिट्टी एवं मुरम कार्य	राशि बसूली कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे संभाग श्योपुर के पत्र क्र. 21 दिनांक 05.01.15 कि संलग्न प्रपत्र 'क' के अनुसार संबंधितों से बसूली कर ली गई है केवल एक उपयंत्री श्री एम.के.गोयल से राशि रू. 1100/- बसूल की गई तत्पश्चात न्यायालय से स्थगन आदेश जारी होने से बसूली यथा स्थिति में रोक दी गई।

(25)

"श्योपुर एवं करहाल विकास खण्ड में ग्रा.यां.सेवा द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	कार्य का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
9	डब्ल्यूबीएम मार्ग जाखदा से बरगवां	अनियमितताओं के लिये संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध आयुक्त चंबल संभाग द्वारा जारी विभागीय जांच आदेश के बाद आदेश क्र./विकास/23–4/10/2000/14133 दिनांक 29.12.2006 द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जाकर संबंधित अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया है आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
10	प्राथमिक शाला भवन ककरधा	उक्त निर्माण कार्यो में अनियमितताओं के लिये श्री एम.एस.यादव तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री ग्रायांसे उपसंभाग कराहल (जल संसाधन विभाग प्रतिनियुक्ति पर) आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश क्र./विकास/23–4/1/99 दिनांक 14.01.2000 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है इनका विभागीय जांच प्रतिवेदन अधीक्षण यंत्री निचला चंबल मण्डल मुरैना से प्राप्त नहीं होने से आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के पत्र क्र./विकास/23–4/01/1999/5894 दिनांक 17.10.2014 द्वारा स्मरण पत्र भेजा गया है।
11	प्राथमिक शाला भवन भीमलत	
12	प्राथमिक शाला भवन मसावनी	
13	प्राथमिक शाला भवन मूंजरी	
14	प्राथमिक शाला भवन कर्राई	
15	कराहल–करियादेह मार्ग पर अर्थवर्क एवं मुरूमीकरण लंबाई 1. कि.मी	
16	सेसईपुरा से अधवाड़ा अर्थवर्क एवं मुरमीकरण 1 कि.मी.	
17	कराहल गांव से अगने सहराने तक अर्थवर्क एवं मुरूमीकरण 1 कि.मी.	
18	नदी नाले सहराने से नाली निर्माण	
19	अधवाड़ा से मोरावन अर्थवर्क एवं मुरूमीकरण लंबाई 1 कि.मी.	

(26)

"श्योपुर एवं करहाल विकास खण्ड में ग्रा.यां.सेवा द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	कार्य का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
20	आंगनवाड़ी भवन गुरूनावदा	श्री राकेश शर्मा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर के विरूद्ध अवर सचिव म.प्र. शासन पशुपालन विभाग भोपाल के आदेश क./6–5/2009/पैंतीस/ दिनांक 22.01.2010 द्वारा अंतिम निर्णय आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया है।
21	प्राथमिक शाला भवन कनांपुर	श्री एम.एस.यादव तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्योपुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रकरण प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के पत्र कमांक विकास/23–4/90/2001/आई/दास्त/886 दिनांक 02.02.2010 द्वारा भेजा गया है।
22	डब्ल्यूबीएम रोड रामबड़ौदा से सोंठवा	श्री एच.एल.गुप्ता उपयंत्री ग्रायांसे श्योपुर के विरूद्ध विकास आयुक्त म.प्र. भोपाल के आदेश कमांक 2716 /145 /वि–जांच /22/वि–3 /ग्रायांसे/2010 दिनांक 22.04.2010 द्वारा अंतिम निर्णय पारित कर रू. 48,908/– को वसूली एवं एक वेतनवृद्धि असंचय प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है।
23	कराहल से रानीपुर मिटटी मुरम रोड	अनियमितताओं की जांच हेतु संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल स्तर पर विभागीय जांच आदेश क. 1039 दिनांक 14.01.10 संस्थित होने का उल्लेख है।
24	डब्ल्यूबीएम मार्ग ककरधा लंबाई 1.61 किमी.	अनियमितताओं के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क. 1090 दिनांक 04.12.02 से आरोप पत्र इत्यादि जारी किये जाने का उल्लेख है।

:: परिशिष्ट – ''ब'' ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

गम्भीर अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही न करने और समय निकालकर दोषियों को बचाने के मामलों में समिति अपने 7वें और 8वें प्रतिवेदन में अनुशंसा कर चुकी है । विचाराधीन प्रतिवेदन में 9 मामले ऐसे हैं जिनमें समय में कार्यवाही नहीं की गई और दोषियों को बचाया गया है ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आश्वासन क्रमांक 17 दवा क्रय के मामले की जांच और राशि वसूली का है। इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है । स्कूल शिक्षा विभाग के आश्वासन क्रमांक 50 में दोषी कर्मचारी को मूल विभाग में वापस भेजकर विभाग ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली । सहकारिता विभाग का आश्वासन क्रमांक 125 अत्यंत गंभीर है । यह राशि रूपये 3.50 करोड़ रूपये के गबन का है जिसमें से मात्र रूपये 43 लाख की वसूली ही हो पाई है और सभी दोषी भी दण्डित नहीं हो पाये हैं । नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के सभी मामले गंभीर हैं और वित्तीय अनियमितताओं से (आश्वासन क्रमांक 194) संबंधित हैं और एक मामला (आश्वासन क्रमांक 193) कालोनाईजर से वसूली का है । वित्तीय मामलों में यही स्थिति पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आश्वासनों की भी है ।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि समिति अपने 7वें और 8वें प्रतिवेदन में विशेष टिप्पणी/अनुशंसा कर चुकी है । समिति तद्नुसार ही इन मामलों में दोषियों और दोषियों को बचाने वालों पर 6 माह के भीतर कार्यवाही की अनुशंसा करती है और पूर्व प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे मामलों को समय पर निपटाने हेतु स्थायी व्यवस्था बनाने की पक्षधर है ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिन 3 मामलों (आश्वासन क्रमांक 107, 110 और 111) पर विभागीय जानकारी प्रतिवेदन दिये जाने तक प्राप्त नहीं हुई है वह जानकारी न दिये जाने के दोषी भी दण्डित हों और आश्वासनों पर समय सीमा के भीतर कार्यवाही भी अवश्य कर ली जाय । जिन 6 मामलों (आश्वासन क्रमांक 117, 130, 160, 193, 205, 208 'ब', 217 और 236) पर विभागीय अद्यतन जानकारी समिति के मांगे जाने के बावजूद भी नहीं भेजी गई उन मामलों में आश्वासन अनुरूप कार्यवाही भी कर ली जाय ।

:: परिशिष्ट – ''स'' ::

विभागीय जांच के अनिर्णीत आश्वासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

आश्वासन क्रमांक	17

स्कूल शिक्षा

आश्वासन क्रमांक	50

सहकारिता

आश्वासन क्रमांक	125

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

आश्वासन क्रमांक	130

नगरीय प्रशासन एवं विकास

आश्वासन क्रमांक	194
आश्वासन क्रमांक	217

अद्यतन जानकारी अप्राप्त आश्वासन

राजस्व

आश्वासन क्रमांक	117

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

आश्वासन क्रमांक	160

नगरीय प्रशासन एवं विकास

आश्वासन क्रमांक	193
आश्वासन क्रमांक	205
आश्वासन क्रमांक	208 'ब'
आश्वासन क्रमांक	217
आश्वासन क्रमांक	236

उत्तर अप्राप्त आश्वासन

राजस्व

आश्वासन क्रमांक	107
आश्वासन क्रमांक	110
आश्वासन क्रमांक	111

:: परिशिष्ट - "द" ::

नवम्बर, 2001 सत्र, के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	02	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	03	ऊर्जा	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	04	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
5.	06	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	07	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	08	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
8.	09	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	10	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	11	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
11.	12	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
12.	13	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
13.	14	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	15	"	चौबीसंवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	16	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	18	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	19	उच्च शिक्षा	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
18.	20	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	21	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	22	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	23	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
22.	24	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	25	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	27	कृषि	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	28	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	29	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	30	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	31	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	32	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	34	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	35	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	36	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	37	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	38	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	39	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	40	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	41	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	43	स्कूल शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	44	"	तृतीय प्रतिवेदन	अष्टम् विधानसभा
40.	45	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	46	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	48	स्कूल शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	49	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

44.	51	स्कूल शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	52	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	53	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	54	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	55	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
49.	56	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	57	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	58	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	60	जल संसाधन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	61	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	63	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
55.	64	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	65	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	66	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
58.	67	सामान्य प्रशासन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	68	धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	69	समाज कल्याण	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
61.	70	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	71	उद्योग	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
63.	72	वाणिज्य एवं उद्योग	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	73	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
65.	74	नर्मदा घाटी विकास	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
66.	75	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
67.	76	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
68.	77	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
69.	78	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	79	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	80	चिकित्सा शिक्षा	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	81	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	82	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	83	महिला एवं बाल विकास	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	84	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	85	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
77.	86	श्रम	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	87	वन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	88	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	89	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	90	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
82.	91	परिवहन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	92	वाणिज्य कर	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	93	जेल	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	94	पुर्नवास	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
86.	95	भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	97	जन शिकायत निवारण	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
88.	98	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
89.	99	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	100	तकनीकी शिक्षा एवं जनशिकायत नियोजन	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
91.	102	आवास एवं पर्यावरण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	103	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	104	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

94.	105	राजस्व	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
95.	108	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
96.	112	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	113	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	115	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	116	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	118	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
101.	119	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	120	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
103.	122	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
104.	123	सहकारिता	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	126	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	127	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	128	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
108.	129	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
109.	132	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	133	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
111.	134	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
112.	135	लोक निर्माण	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
113.	136	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	137	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	138	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	139	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
117.	140	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	141	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
119.	142	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	143	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
121.	144	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	145	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	147	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
124.	148	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	149	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
126.	150	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	152	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
128.	153	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	154	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	155	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
131.	156	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
132.	157	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	158	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	159	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	161	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	162	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	164	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
138.	167	गृह	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	168	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	169	३	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
141.	170	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	172	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	173	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	174	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

145.	175	गृह	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
146.	176	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	177	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	178	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	179	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	180	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
151.	181	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	182	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
153.	185	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	186	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
155.	187	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	188	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
157.	189	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
158.	190	नगरीय प्रशासन एवं विकास	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
159.	191	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	192	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
161.	195	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	196	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	198	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
164.	199	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	200	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	201	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
167.	202	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	206	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	207	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	209	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
171.	210	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	211	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
173.	212	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
174.	213	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	214	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	215	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
177.	216	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	219	नगरीय प्रशासन एवं विकास	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	221	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	224	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	226	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	227	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
183.	229	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	230	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	231	"	नवम् प्रतिवेदन	ग्यारहवीं विधानसभा
186.	232	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
187.	233	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	234	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	235	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
190.	237	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	238	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा